

21/06/24

पत्रावली पेश हुई वरील उभयपक्ष अनुपासित ।  
 वादी का कद करीर 9RS जा.दी. में खारिज  
 किया जा चुका है इसलिये अब 7.1 प्रां पत्र  
 का कौरे औचित्य शेष नहीं रह जाता है  
 इसलिये वादी का प्रां पत्र करीर 9RS  
 जा.दी. में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
 फैसल सुमार धोरत हर्ज नम्बर से कम  
 है। आदेश हुबले न्यायालय में पुनाया  
 गया।

उपरखण्ड अधिकारी,  
 साँभर लेक 5